संख्या-13/2023/I/272454/2023/004-71-2002-002-2-2022

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
सी0बी0एम0आर0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 09 फरवरी, 2023

विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में संस्थान के गैर वेतन मद में पंचम एवं छठीं किश्त की धनराशि अवमुक्त् किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-सीबीएमआर/एफ एण्ड ओ/2022-23/179 दिनांक 23 जनवरी, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में सेण्टर के गैर वेतन मद में आवंटित धनराशि के सापेक्ष पंचम एवं छठीं किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या- 45/2022/1/158112/2022/001-71-2002-002-7-2021, दिनांक 21 अप्रैल, 2022, शासनादेश संख्या-98/2022/1/200217/2022/001-71-2002-002-7-2022, दिनांक 10 अगस्त, 2022, शासनादेश संख्या-118/2022/1/215222/2022/002-71-2002-002-2-2022, दिनांक 19 सितम्बर, 2022 एवं शासनादेश संख्या-145/2022/1/2425202/2022/ 002-71-2002-003-2-2022, दिनांक 23 जनवरी, 2023 द्वारा क्रमश: प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किश्त की धनराशि रू0 128.33+128.33+128.33+128.33 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 513.32 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में लेखा शीर्ष-2210-05-105-03-0312- सेण्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पंचम एवं छठीं किश्त के रूप में रू0 256.68 लाख (रूपये दो करोड़ छप्पन लाख अड़सठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए निदेशक, सी0बी0एम0आर0 के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर डाकघरबैंक में नहीं रखी जायेगी।/
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जाएगा तथा उसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. सेन्टर के निदेशक एवं संबंधित वित्त नियंत्रक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा एवं पूर्व में निर्गत धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन किया जा चुका है।
5. वित्त (व्ययक-आय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित- किया जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।
7. धनराशि को कोषागार से सेण्टर के वित्त नियंत्रकवित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा / तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,56,68,000 (रुपये दो करोड़ छप्पन लाख अड़सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210051050312 सेन्टर ऑफ बॉयोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-489/दस-2022-23, दिनांक- 06 फरवरी, 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव।

संख्या-13/2023/।/272454/2023/004-71-2002-002-2-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारीद्वितीय/प्रथम (, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार द्वितीय/प्रथम (परीक्षा-लेखा), उ0प्र0 लखनऊप्रयागराज।/
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
5. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन सेल, चिकित्साशिक्षा विभाग /, उ0प्र0शासन।
6. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, सी0बी0एम0आर0, लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त -अनुभाग (व्ययक-आय)1/2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in